

**न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड, म०प्र०**

जमानत आवेदन क्रमांक 26/18

साहब सिंह पुत्र आशाराम बाल्मीक निवासी रतवा  
थाना मौ परगना गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

-----आवेदक

विरुद्ध

वन मण्डल अधिकारी

-----अनावेदक

13-01-2018

आवेदक/अभियुक्त साहब सिंह की ओर से श्री अखिलेश समाधिया अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

विचारण न्यायालय (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी जे०एम०एफ०सी०) गोहद से मूल आपराधिक प्र०क्र० 457/12 वनविभाग विरुद्ध साहब सिंह प्राप्त।

प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त साहब सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री अखिलेश समाधिया द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० के संबंध में निवेदन किया है कि उक्त प्रथम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक/अभियुक्त साहब सिंह की ओर से प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० के संबंध में निवेदन किया गया है कि विचारण न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में आवेदक को पूर्व अभिभाषक द्वारा पेशी की जानकारी न देने के कारण नियत पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका था इस कारण न्यायालय द्वारा जमानत जप्त की जा चुकी है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत धारा 437 दं०प्र०सं० का जमानत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। आवेदक दिनांक 11.12.17 को स्वयं हाजिर हुआ था, तभी से वह न्यायिक निरोध में होकर उपजेल गोहद में बंद है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। आवेदक ग्राम रतवा का स्थाई निवासी है। आवेदक को जमानत मिलने पर नियमित रूप से प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होता रहेगा तथा न्यायालय की शर्तों का पालन करेगा। अतः इन्हीं सब आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुए आवेदन पत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदन पर विचार करते हुये विचारण न्यायालय के मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 457/12 का अवलोकन किया गया, जिससे पाया जाता है कि उक्त प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष नियत पेशी दिनांक 17.11.17 को अभियुक्त परीक्षण के प्रक्रम पर अभियुक्त साहब सिंह के उपस्थित नहीं रहने के कारण अभियुक्त साहब सिंह के जमानत मुचलके जप्त किये जाकर उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किये जाने के पश्चात् आवेदक स्वयं विचारण न्यायालय में उपस्थित हुआ था, तभी से अभियुक्त साहब सिंह निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में है तथा प्रकरण आरोप पूर्व साक्ष्य हेतु नियत होने से प्रकरण के निराकरण में विलंब की संभावना है। आवेदक/आरोपी वारंट जारी होने के पश्चात् अगली ही पेशी पर उपस्थित हो गया था तथा उक्त मामला जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है एवं अभियुक्त दिनांक 11.12.17 से निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में है अनुपस्थिति बावत् न्यायिक अभिरक्षा की अवधि शिक्षाप्रद प्रतीत होती है एवं अभियुक्त गरीब मजदूर पेशा परिवार का कर्तार्थता होना एवं उसके परिवार में छोटे-छोटे बच्चे होना बताये गये हैं।

विचारोपरांत आवेदक/आरोपी साहब सिंह की ओर से संबंधित विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य 20,000/- रुपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र इस आशय की पेश होने पर कि वह प्रत्येक पेशी पर विचारण न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा, तो उसे जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

आरोपी के मुचलके की राशि राजसात किये जाने के संबंध में विचारण न्यायालय विधिवत कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है।

आदेश की प्रति सहित विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जाये।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकॉर्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(एस0के0गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड